विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय हैं:

अध्याय–1: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलापों की सामान्य जानकारी,

अध्याय–2: मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त उच्च दाब (ईएचटी) सब–स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर निष्पादन लेखापरीक्षा, और,

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के ताप विद्युत केन्द्रों में ईधन प्रबंधन पर लेखापरीक्षा

अध्याय–3: उपक्रमों पर लेन देन लेखापरीक्षा की 11 कंडिकाएँ।

लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 2,150.74 करोड़ का है।

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

मध्य प्रदेश में 72 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (उपक्रम) हैं। 31 मार्च 2017 को इन उपक्रमों में किया गया निवेश (अंश पूंजी व दीर्घावधि ऋण) ₹ 81,529.50 करोड़ था। विगत पाँच वर्षों में राज्य शासन के निवेश का ज़ोर मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र (₹ 27,618.74 करोड़) में था।

72 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 52 सरकारी कम्पनियाँ व दो सांविधिक निगम, कार्यशील उपक्रम हैं। 18 अकार्यशील उपक्रमों में 17 सरकारी कम्पनियाँ व एक सांविधिक निगम है।

72 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 15 उपक्रमों के 1990–91 के बाद के तीन वर्ष या उससे अधिक के लेखे बकाया थे। लेखों के अंतिमिकरण में देरी/अभाव के कारण तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण, गबन व दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।

ऐसे 57 उपक्रम जिन्होंने विगत तीन वर्षों में अपने लेखे अंतिमिकृत किए उनके अद्यतन अन्तिमिकृत लेखों के अनुसार 29 उपक्रमों ने ₹ 397.74 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 19 उपक्रमों ने ₹ 5,625.52 करोड़ की हानि वहन की तथा शेष नौ उपक्रमों को न लाभ हुआ न हानि। इन 57 उपक्रमों ने ₹ 77,588.17 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया ।

ऐसे 57 उपक्रम जिन्होंने विगत तीन वर्षों में अपने लेखे अंतिमिकृत किए, के द्वारा राज्य शासन के निवेश (प्रदत्त पूंजी, मुक्त संचय व दीर्घावधि ऋण) पर औसत 0.88 प्रतिशत नकारात्मक प्रतिफल (आरओआई) उत्पन्न किया गया। इसके विपरीत, वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान, राज्य शासन के ऋण की औसत लागत 6.72 प्रतिशत थी। अतः विगत तीन वर्षों में लेखे अन्तिमिकृत करने वाले इन 57 उपक्रमों में निवेश करने के कारण, सरकारी कोष को लगभग ₹ 3,672.26 करोड़ की हानि हुई। शेष 15 उपक्रमों, जिनके द्वारा लेखे अन्तिमिकृत नहीं किए, उनकी हानि, यदि कोई हो, को आंकलित नहीं किया जा सका।

(कंडिकाएँ 1.1, 1.5, 1.6, 1.9 तथा 1.10)

लेखों के अंतिमिकरण में बकाया

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के अंदर अर्थात् सितंबर माह के अंत तक, कम्पनियों के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसमें हुई विफलता, दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकती हैं, जिसके

तहत कम्पनी का हर अधिकारी जिससे चूक होगी, पर एक वर्ष तक की कैद या कम से कम ₹ पचास हज़ार से ₹ पाँच लाख तक का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों लगाया जा सकता है।

31 दिसम्बर 2017 को 54 कार्यशील उपक्रमों में से मात्र 25 उपक्रमों ने 2016–17 के अपने लेखों का अंतिमिकरण किया एवं शेष 29 उपक्रमों के 54 लेखे एक से 13 वर्ष तक से बकाया थे। 18 अकार्यशील उपक्रमों में से पाँच उपक्रम परिसमापनाधीन थे एवं शेष तीन उपक्रमों के 42 लेखे छह से 27 वर्षों से बकाया थे। राज्य सरकार ने 17 कार्यशील उपक्रमों में ₹ 13,977.68 करोड़ की बजटीय सहायता (अंश पूंजी, ऋण, अनुदान एवं सब्सिडी) उस अवधि में दी, जब उनके लेखे बकाया थे। इसमें से ₹ 266.77 करोड़ की बजटीय सहायता, उन तीन उपक्रमों को दी गयी थी जिनके लेखे तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया थे।

राज्य सरकार की लाभांश नीति (जुलाई 2005) के अनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर पश्चात लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत लाभांश भुगतान करना आवश्यक है। यद्यपि, 2014–17 के अपने नवीनतम अंतिमिकृत लेखों के अनुसार, जिन 29 उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया था, उनमें से मात्र चार उपक्रमों ने ही ₹ 43.38 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया और मध्य प्रदेश शासन की लाभांश नीति का उल्लंघन करते हुए, लाभ अर्जित करने वाले 25 उपक्रमों ने 2016–17 में अपने ₹ 187.45 करोड़ के लाभ पर ₹ 37.49 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया।

(कंडिकाएँ 1.9, 1.10, 1.11 तथा 1.14)

अनुशंसाएँ

- **वित्त विभाग व संबन्धित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के उपक्रम अपने लेखों को अद्यतन बनाने के लिए त्वरित कदम उठाएँ, ताकि इन उपक्रमों के निदेशक, कम्पनी अधिनियम व सांविधिक निगमों के प्रासंगिक अधिनियमों के उल्लंघन के दोषी ना बने रहें।**
- **वित्त विभाग व संबन्धित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बजटीय सहायता उन उपक्रमों को न दी जाए जिनके लेखे अद्यतन नहीं हैं।**
- **राज्य सरकार को लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों को लाभांश नीति लागू होने की दिनांक (जुलाई 2005) से बकाया लाभांश (₹ 474.46 करोड़) को सरकारी खाते में जमा कराने हेतु आदेश देना चाहिए।**

अकार्यशील उपक्रमों का समापन

18 अकार्यशील उपक्रमों (17 कम्पनियों और एक सांविधिक निगम) में से पांच उपक्रमों[1] ने विगत एक से 27 वर्ष के दौरान परिसमापन प्रक्रिया आरंभ कर दी थी जो परिसमापक के पास लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम का परिसमापन करने का प्रस्ताव भेजा था (फरवरी 2005)। यद्यपि, भारत सरकार ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया (नवंबर 2009) और निगम के पुनर्गठन/पुनः प्रवर्तन के लिए सलाह दी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई अभी भी लंबित है एवं मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम अभी भी अकार्यशील सांविधिक निगम है। क्रिस्टल आईटी पार्क लिमिटेड और एसईजेड इंदौर लिमिटेड के उनकी नियंत्रक कम्पनी {मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड} के साथ संविलयन के आदेश जारी किए

[1] दादा धुनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड और आप्टेल टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड।

जा चुके हैं (जनवरी 2018) और राज्य सरकार ने अभी तक ₹ 14.69 करोड़ के नेट वर्थ[2] वाले शेष 10 कम्पनियों[3] के समापन/पुनः प्रवर्तन पर फैसला नहीं लिया है।

(कंडिका 1.16)

अनुशंसाएँ

- **क्योंकि घाटे में चल रहे व अकार्यशील उपक्रमों के अस्तित्व में बने रहने के कारण सरकारी कोष को भारी नुकसान होता है, अतः राज्य सरकार को चाहिए कि: (1) सभी घाटे में चल रहे उपक्रमों की कार्य पद्धति का अवलोकन करे (2) अकार्यशील उपक्रमों के समापन की संभावना की समीक्षा करे; तथा (3) अकार्यशील उपक्रमों के कर्मचारियों को राज्य शासन के विभागों में रिक्त पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की सम्भावना का आँकलन करे, जैसा राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है।**
- **चूँकि भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम के पुनर्गठन की सलाह देने के दस वर्ष व्यतीत होने के बावजूद, पुनर्गठन अभी तक नहीं किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार अविलम्ब से समीक्षा करे कि क्या निगम का पुनर्गठन करना संभव है, जैसा कि भारत सरकार की सलाह थी। राज्य सरकार को 10[4] अकार्यशील उपक्रमों के परिसमापन पर निर्णय की व्यवहार्यता का आँकलन करना चाहिए।**

लेखों पर टिप्पणियाँ

लेखों के संधारण की गुणवत्ता में काफी सुधार की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 18 कम्पनियों द्वारा अंतिमिकृत 25 लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र दिये। 15 कम्पनियों के 22 लेखों में लेखा मानकों के उल्लंघन के 65 मामले थे, जो कि कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों के अनुपालन की दयनीय स्थिति को दर्शाता है।

(कंडिका 1.17)

अनुशंसा

वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभागों को तत्काल उन 18 कम्पनियों के कामकाज की समीक्षा करनी चाहिए जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा मर्यादित टिप्पणियां दी गई हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

प्रचलित निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों को चाहिए कि सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, उनकी विधानसभा में प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के भीतर जमा करें। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014–15 तक कोई बैकलोग नहीं था। 24 मार्च 2017 को विधान सभा में प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015–16 में सम्मिलित 18 कंडिकाओं/समीक्षाओं में से दो कंडिकाओं/समीक्षाओं पर दो विभागों (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग) से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी भी अप्राप्त थी (मार्च 2018)।

(कंडिका 1.19)

---

[2] प्रदत्त पूंजी + संचय व आधिक्य – संचित हानियाँ

[3] *परिशिष्ट 1.1* की क्रम संख्या सी3, सी5 एवं सी8 से सी15

[4] 18 अकार्यशील उपक्रम (घटायें) परिसमापनाधीन पांच उपक्रम (घटायें) एक उपक्रम जिसके पुनः प्रवर्तन का भारत सरकार ने सुझाव दिया है (घटायें) सम्विलयनाधीन दो उपक्रम।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन

1 नवंबर 2000 से प्रभावी तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में विभाजन के परिणामस्वरूप 19 उपक्रमों[5] (तब मौजूदा 28 उपक्रमों[6] में से) की संपत्तियाँ और देनदारियां, उत्तराधिकारी राज्यों में विभाजित की जानी थी। यद्यपि, दिसंबर 2017 तक केवल 13 उपक्रमों[7] के संबंध में ही विभाजन पूरा किया जा सका।

(कंडिका 1.22)

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

चिन्हित वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों के साथ योजना के कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश विद्युत प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड द्वारा उसकी सहायक कम्पनियों की ओर से अर्थात् तीनों राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों नामतः, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (मप्रपश्चिमक्षेविविकं), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (मप्रपूर्वक्षेविविकं) और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (मप्रमध्यक्षेविविकं) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया (अगस्त 2016)।

तीनों विद्युत वितरण कम्पनियाँ कुल तकनीकी और वाणिज्यिक ह्रास में कमी और संग्रह दक्षता के वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में विफल रही। परिचालन लक्ष्य (अविद्युतीकृत परिवारों तक बिजली पहुंचाने, ग्रामीण फीडरों का मिटरीकरण और ग्रामीण फीडरों के अंकेक्षण) सभी विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्राप्त कर लिए गए। यद्यपि, वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण, स्मार्ट मीटरीकरण व एलईडी बल्बों के वितरण के लक्ष्यों के सन्दर्भ में विद्युत वितरण कम्पनियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। साथ ही, मप्रपूर्वक्षेविविकं और मप्रमध्यक्षेविविकं फीडर विभक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकीं।

(कंडिका 1.23)

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त उच्च दाब (ईएचटी) सब–स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी), जबलपुर की स्थापना नवंबर 2001 में ऊर्जा विभाग (विभाग), मध्य प्रदेश शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में हुई। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य में एक कुशल, पर्याप्त और उचित समन्वित ट्रांसमिशन प्रणाली प्रदान करना है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में कम्पनी की अतिरिक्त उच्च दाब (ईएचटी) सब–स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों (132 केव्ही, 220 केव्ही और 400 केव्ही) के निर्माण से सम्बंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान सब–स्टेशनों एवं ट्रांसमिशन लाइनों से सम्बंधित परियोजनाओं का सूत्रीकरण और योजना, क्रय, निर्माण और स्थापना सम्मिलित है।

---

[5] *परिशिष्ट 1.1* की क्रम संख्या ए1, ए2, ए11, ए12, ए13, ए14, ए17, ए28, ए31, ए32, ए34, ए45, ए46, ए47, सी1 एवं सी5 (शेष तीन कम्पनियाँ अब अस्तित्व में नहीं हैं)

[6] *परिशिष्ट 1.1* की क्रम संख्या ए1, ए2, ए3, ए4, ए5, ए6, ए8, ए11, ए12, ए13, ए14, ए17, ए28, ए31, ए32, ए34, ए45, ए46, ए47, सी1, सी4 एवं सी5 (शेष छह कम्पनियाँ अब अस्तित्व में नहीं हैं)

[7] *परिशिष्ट 1.1* की क्रम संख्या ए1, ए2, ए14, ए28, ए31, ए32, ए34, ए45, ए47 एवं सी5 (शेष तीन कम्पनियाँ अब अस्तित्व में नहीं हैं)

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैः

निगरानी और आंतरिक नियंत्रण

कम्पनी में कार्यों की प्रगति रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने की प्रणाली न होने के परिणामस्वरूप, निदेशक मंडल द्वारा परियोजनाओं की निगरानी की कमी थी। नतीजतन, काम के निष्पादन के दौरान आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे राईट ऑफ वे, भूमि अधिग्रहण, कार्यों के निष्पादन में देरी और ठेकेदारों के खराब प्रदर्शन आदि पर निदेशक मंडल द्वारा विचार नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.1.9)

एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) के कार्यान्वयन में देरी के कारण, परियोजनाओं की योजना तथा निगरानी, व्यावसायिक सूचना रिपोर्टिंग की मजबूती, वर्कफ्लो में सुधार तथा दक्षता में वृद्धि सहित परिचालन कार्यों को एकीकृत करने के उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

(कंडिका 2.1.10)

योजना और परियोजना अवधारणा

पूंजी व्यय हेतु मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, कम्पनी ने राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए दस वर्ष की परिप्रेक्ष्य योजना विकसित नहीं की। वार्षिक पूंजी व्यय योजनायें, निदेशक मंडल और एमपीईआरसी की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं की गयी। पांच वर्षीय योजना में परिकल्पित कार्यों को वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित ना किए जाने, अनुमोदित डीपीआर में लक्षित कार्यों का निष्पादन नहीं किया जाना तथा कार्यों के निष्पादन में विलम्ब के कारण, कम्पनी पांच वर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी।

(कंडिकाएँ 2.1.11 तथा 2.1.12)

परियोजना क्रियान्वयन तथा निष्पादन

कार्यो के विलंब से पूर्ण होने/अपूर्ण रहने के कारण, लेखापरीक्षा अवधि में कम्पनी, ट्रांसमिशन हानियों में होने वाली ₹ 71.61 करोड़ की वांछित कमी से वंचित रही। खराब निष्पादन के मुख्य कारण, विस्तृत सर्वे के बिना कार्यो को प्रारंभ करना, भूमि की उपलब्ता के बिना कार्यादेश देना, लेआउट तथा ड्राइंग को अंतिम रूप देने में कमियाँ, एक ठेकेदार को एक साथ अनेक ठेके जारी करना, ठेकेदारों द्वारा टर्नकी ठेके के निष्पादन में खराब प्रदर्शन थे।

(कंडिकाएँ 2.1.17, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.20, 2.1.21 तथा 2.1.22)

वितरण कम्पनियों द्वारा नौ सब–स्टेशनों को फीडरों से नहीं जोड़ा गया तथा वितरण कम्पनियों द्वारा सम्बंधित लाइनों के निर्माण न करने के कारण छह सब–स्टेशनों को फीडरों से चार से 18 माह के विलम्ब से जोड़ा गया। नतीजतन, ये सब–स्टेशन काफी अवधि के लिए अप्रयुक्त रहे और अतिरिक्त भार की मांग को पूर्ण करने और क्षेत्र की वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार करने के उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

(कंडिका 2.1.24)

तीन 220 केव्ही सब–स्टेशनों के निर्माण के साथ सम्बंधित 132 केव्ही ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण को सिंक्रोनाइज न करने के कारण, सब–स्टेशनों पर भार कम था तथा सब–स्टेशन कम उपयोगित रहे।

(कंडिका 2.1.25)

ईशागढ़–गुना लाइन पर ₹ 6.16 करोड़ का निवेश वैकल्पिक अशोकनगर–ईशागढ़ लाइन के निर्माण के कारण निरर्थक रहा। इसके अलावा, 132 केव्ही पनागर–कटंगी लाइन पर मल्टी सर्किट टावरों की अप्रयुक्त स्ट्रिंगिंग पर ₹ 1.25 करोड़ का निष्फल व्यय रहा।

(कंडिकाएँ 2.1.26 तथा 2.1.27)

परियोजनाओं हेतु वित्तीय व्यवस्था तथा वित्तीय प्रबंधन

परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के कारण ऋण के आहरण कार्यक्रम का पालन न करने से ₹ 8.29 करोड़ के कमिटमेंट प्रभारो का भुगतान करने की देयता रही। इसके अलावा, बैंक गारंटी (बीजी) में निर्धारित शर्तों का पालन न करने के कारण, कम्पनी मोबिलाईजेशन अग्रिम के विरूद्ध ₹ 25.27 करोड़ की बैंक गारंटी का नगदीकरण करने में विफल रही।

(कंडिकाएँ 2.1.30 तथा 2.1.31)

अनुशंसाओं का सारांश

कम्पनी को चाहिए कि:

- **बेहतर कार्य प्रवाह और संचालन की प्रभावी निगरानी के लाभ प्राप्त करने के लिए आगे बिना किसी देरी के ईआरपी परियोजना को पूरा करने के लिए कदम उठाये;**
- **दस वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना, पांच वर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं को बनाने के लिए एमपीईआरसी के केपेक्स दिशानिर्देशों का पालन करे;**
- **विस्तृत सर्वे, मार्ग संरेखण, विस्तृत अनुमान बनाने के बाद ही कार्यों के लिए कार्यादेश जारी करे जैसा कि लोक निर्माण विभाग के मैन्युअल में दिया गया है;**
- **परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए, भूमि की पहचान, अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने जैसी प्रारंभिक गतिविधियों को पूरा करना सुनिश्चित करे;**
- **लेआउट और ड्राइंग को समय पर अंतिम रूप देना और ठेकेदारों के प्रदर्शन की निगरानी को सुनिश्चित करे, ताकि कार्यों का समयानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके;**
- **अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यों को समयानुसार पूर्ण करवाने हेतु खराब निष्पादन वाले ठेकेदारों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करे;**
- **सब–स्टेशनों और संबंधित ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के सिंक्रोनाइजेशन को सुनिश्चित करे, ताकि स्थापित सब–स्टेशनों के अल्प उपयोग का परिवर्जन किया जा सके।**

2.2 मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के ताप विद्युत केन्द्रों में ईंधन प्रबंधन पर लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) 4,080 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के चार ताप विद्युत केन्द्र (टीपीएस) संचालित करती है, जिनका प्राथमिक और सहायक ईंधन क्रमशः कोयला और तेल है। 2014–17 की अवधि में कम्पनी ने ईंधन के क्रय पर ₹ 13,263.17 करोड़ व्यय किये, जो कुल उत्पादन लागत का 56 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने 2014–17 की अवधि में सभी चार टीपीएस में ईंधन प्रबंधन से संबंधित कम्पनी की गतिविधियों की समीक्षा की।

2014–17 के दौरान कम्पनी द्वारा ईंधन प्रबंधन पर लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्नानुसार थे:

कोयले की योजना और क्रय

- यद्यपि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मार्च 2016 में अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन की दो इकाइयों को बंद करने का अनुमोदन दे दिया था, कम्पनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) से कोयले की अनुबंधित मात्रा को कम करने में असफल रही। परिणामस्वरूप, कम्पनी 6.27 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) कोयला कम उठाने के लिए ₹ 17.21 करोड़ मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हुई।

(कंडिका 2.2.9)

- कम्पनी श्री सिंगाजी टीपीएस के लिये अधिक दूरस्थ एसईसीएल के कोयले को निकटवर्ती वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के कोयले से विनिमय करने में असफल रही, जिसके परिणामस्वरूप 13.37 एलएमटी कोयले की आपूर्ति के लिए परिवहन के रूप में ₹ 80.10 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 2.2.10)

- सतपुड़ा टीपीएस में अनुबंधों में कोयले की आपूर्ति को विवेकपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करने में विफलता के कारण, कम्पनी द्वारा डब्ल्यूसीएल के एक अनुबंध में कोयले की अतिरिक्त आपूर्ति के कारण प्रोत्साहन देने एवं अन्य अनुबंध में कोयले के कम उठाव के कारण मुआवजा देने का दायित्व था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 50.96 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

(कंडिका 2.2.11)

- कम्पनी ने 12.68 एलएमटी स्वदेशी कोयले का कम उठाव किया जबकि 1.76 एलएमटी महंगे आयातित कोयले का क्रय किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 2.2.12)

कोयले का परिवहन

- कम्पनी ने रेलवे को माल भाड़ा भुगतान के लिए बैंकों के साथ केंद्रीकृत ई–भुगतान खाता नहीं बनाया। परिणामस्वरूप, रेक के डायवर्जन के मामले में, रेलवे ने बदले गए गंतव्य के माल भाड़े का अंतर लेने की बजाय दो पूर्ण माल भाड़ा (मूल गंतव्य के लिए एक और बदले गए गंतव्य के लिए दूसरा) एकत्र किया। परिणामस्वरूप 2014–17 के दौरान ₹ 45.15 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ जो रेलवे के पास अवरुद्ध रहा। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने ₹ 6.30 करोड़ के ब्याज की हानि वहन की।

(कंडिका 2.2.18)

कोयला हैंडलिंग

- कम्पनी ने निर्धारित समय सीमा के अन्दर कोयला रेक को अनलोड नहीं किया। 7,495 कोयला रेकों में से 4,627 कोयला रेकों (61.73 प्रतिशत) की अनलोडिंग में सभी चार टीपीएस में देरी हुई, जिसके लिए कम्पनी द्वारा रेलवे को ₹ 21.35 करोड़ का डेमरेज शुल्क देना पड़ा। यह मुख्य रूप से ठेकेदारों द्वारा कोयले की अनलोडिंग में देरी और संजय गांधी टीपीएस में कन्वेयर बेल्ट की सीमित कोयला वहन क्षमता तथा वैकल्पिक कोयला मार्ग के निर्माण में देरी के कारण था।

(कंडिका 2.2.22)

कोयले की खपत

- 2014–17 के दौरान सभी टीपीएस में (अमरकंटक टीपीएस में 2015–17 को छोड़कर) वास्तविक स्टेशन ताप दर (एसएचआर) मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक थी। अधिक एसएचआर और परिणामस्वरूप अतिरिक्त कोयले की खपत के कारण थे, अपर्याप्त रखरखाव तथा टीपीएस की समय पर ओवरहालिंग सुनिश्चित करने में विफलता, संयन्त्र की आंशिक लोडिंग और तकनीकी मानकों से विचलन। अधिक एसएचआर के परिणामस्वरूप ₹ 866.12 करोड़ मूल्य के 26.88 एलएमटी कोयले की अतिरिक्त खपत हुई।

(कंडिका 2.2.26)

ईंधन तेल की खपत

- 2014–17 की अवधि के दौरान, सभी टीपीएस (अमरकंटक टीपीएस और संजय गांधी टीपीएस पावर हाउस–3 को छोड़कर) ने एमपीईआरसी द्वारा निर्धारित मानदंडों से 20,123 किलो लीटर ईंधन तेल का अधिक खपत किया जिसका मूल्य ₹ 95.80 करोड़ था। यह नियमित स्टार्ट–अप पर तेल की अधिक खपत, बार बार संयंत्र के बंद होने, आंशिक लोडिंग, कोयला प्रवाह में व्यवधान और कोल मिल के आउटेज के कारण था।

(कंडिका 2.2.30)

अनुशंसाओं का सारांश

कम्पनी को:

- **अपने टीपीएस में संचालित इकाइयों की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार कोयले का आंकलन और क्रय करना चाहिए;**
- **भविष्य में बंद इकाइयों के कोयले का विनिमय खदानों के नजदीक स्थित बिजली संयंत्रों के साथ सुनिश्चित करना चाहिए;**
- **टीपीएस के विभिन्न अनुबंधों के तहत एमआरपी को विवेकपूर्ण तरीके से दर्ज करना चाहिए और कोयला कम्पनियों के साथ समन्वय करना चाहिए ताकि कोयले के कम उठाव/अतिरिक्त आपूर्ति को कम किया जा सके;**
- **उपलब्ध स्वदेशी कोयले को उठाना चाहिए तथा महंगे आयातित कोयले के क्रय से बचना चाहिए;**
- **भविष्य में निधि के अवरोध और ब्याज की हानि से बचने के लिए मध्य रेलवे के साथ केंद्रीकृत ई–भुगतान खाता खोलने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए;**
- **ओ एंड एम/अनलोडिंग अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए और देरी के लिए भविष्य में डेमरेज के भुगतान से बचने के लिए जल्द से जल्द वैकल्पिक कोयला मार्ग कार्य को पूरा करना चाहिए;**
- **एसएचआर और ईंधन तेल के संबंध में एमपीईआरसी द्वारा निर्धारित परिचालन मानदंडों का पालन करने के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिये।**

3. लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

कुछ महत्वपूर्ण लेन देन लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सारांश नीचे दिया गया है:

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड ने रियायत अनुबंध का उल्लंघन कर रियायतग्राही को ₹ 14.98 करोड़ का वायबिलिटी गेप फंडिंग (वीजीएफ) अनुदान दिया। इसके अलावा, कम्पनी ने ₹ 2.57 करोड़ के स्वतंत्र अभियंता (आईई) शुल्क की वसूली नहीं की।

(कंडिका 3.2)

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड ₹ 8.39 करोड़ की आईई शुल्क और 12 रियायतग्राहियों से विलम्ब से हुए भुगतान पर ₹ 4.01 करोड़ के ब्याज को वसूलने में असफल रही।

(कंडिका 3.5)

मध्य प्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड ने स्वीकृत कार्यप्रणाली से विचलन करके टोरेंट पावर लिमिटेड से महंगी बिजली का क्रय किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 27.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय और उस सीमा तक आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ प्रदाय हुआ।

(कंडिका 3.6)

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड ने जल संसाधन विभाग के साथ जल आपूर्ति अनुबंध के निष्पादन में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 6.70 करोड़ के दंडात्मक जल प्रभार का परिहार्य भुगतान किया।

(कंडिका 3.7)

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड दो थर्मल पावर इकाइयों के बंद होने के पश्चात जल की अनुबंधित मात्रा कम करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप जल प्रभार पर ₹ 1.66 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.8)

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने कॉर्पोरेट लिक्विड टर्म डिपाजिट (सीएलटीडी) सुविधा का लाभ नहीं उठाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.79 करोड़ के ब्याज की आय की हानि हुई।

(कंडिका 3.11)